हरियाणा सरकार
श्रम विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 जनवरी, 2018

संख्या 11/50/2017-4श्रमः- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 27), की धारा 62 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2005 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. ये नियम हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) संशोधन नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2005 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 28 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा।

   "(3) नियोजक अथवा ठेकेदार से यह प्रमाण-पत्र कि आवेदक भवन कर्मकार है, पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र विचारणीय होगा , -

   (i) सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ;

   (ii) सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक ;

   (iii) पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार यूनियन के प्रधान/उप प्रधान ;

   (iv) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ;

   (v) तहसीलदार/नायब तहसीलदार ;

   (vi) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी ;

   (vii) सभी सरकारी विभागों/बोर्ड/निगमों जैसे कि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के), सिंचाई, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पुलिस आवास निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना एवं विकास निगम, हरियाणा आवास निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा भण्डारण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा विद्युत वितरण प्रणाली निगम, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि, के उप-मण्डल अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता ;

   (viii) राज्य की नगरपालिका, नगर परिषद् तथा नगर निगमों के सचिव, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता ;

   (ix) कानूनगों तथा पटवारी ; तथा

   (x) पंचायत सचिव/ग्राम सचिव।"

83/[illegible]
Superintendent
Labour Branch
Haryana Civil Secretariat

3 उक्त नियमों में, –

(i) उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"अशक्तता पेंशन/अशक्तता सहायता. धारा 62."; तथा

(ii) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(1) बोर्ड, लाभार्थी, जो लकवा, कुष्ट रोग, कैंसर, तपेदिक, दुर्घटना इत्यादि के कारण स्थाई रूप से अशक्त हो गया है, को अशक्तता पेंशन के रूप में प्रति मास तीन हजार रूपए की राशि स्वीकृत कर सकता है। पेंशन के अतिरिक्त, वह ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, तथा 50 प्रतिशतता तक की अशक्तता पर एक लाख पचास हजार रूपए, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशतता तक की अशक्तता पर दो लाख रूपए तथा 76 प्रतिशत और उस से अधिक की अशक्तता पर तीन लाख रूपए का अनुग्रहपूर्वक भुगतान का पात्र होगा"।

4 उक्त नियमों में, नियम 57 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
"57. मुख्यमन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नियोजन के दौरान मृत्यु उपरांत वित्तीय सहायता। (धारा–62).– बोर्ड, पंजीकृत सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके आश्रित/नामनिर्दिष्ट को दो लाख रूपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत कर सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण होती है, तो पंजीकृत सदस्य के आश्रित/नामनिर्दिष्ट को वित्तीय सहायता के रूप में पाँच लाख रूपए दिए जाएंगे"।

5 उक्त नियमों में, नियम 59 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
"59. चिकित्सा सहायता (अस्वस्थता के दौरान मजदूरी की क्षतिपूर्ति) (धारा 62)– बोर्ड, लाभार्थी, जो दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण अस्वस्थता के दौरान सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में चार दिन से अधिक किन्तु अधिकतम तीस दिन कि अवधि तक दाखिल रहता है, को श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर पर मजदूरी की क्षतिपूर्ति के रूप में वित्तिय सहायता स्वीकृत कर सकता है। प्ररूप XX अथवा XXI में आवेदन ऐसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए"।

Superintendent
Labour Branch
Haryana Civil Secretariat

डा0 महावीर सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

पृष्ठाकन कमांक 11/50/2017–4श्रम दिनांक 24.01.2018

एक प्रति नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजी जाए ।

अधीक्षक, श्रम
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

पृष्ठाकन कमांक 11/50/2017–4श्रम दिनांक 24.01.2018

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. संयुक्त सचिव, एच.बी.ओ.सी.डब्लयू, डब्लयू.बी., चण्डीगढ़/पंचकूला ।
4. आई0टी0 सैल मुख्यालय, कार्यालय श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

Superintendent
Labour Branch
Haryana Civil Secretariat

अधीक्षक, श्रम
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।